जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.193)/जविप्रा/जे.सी. (एस.एम.)/2015/डी- 198 दिनांकः 26/02/2015

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 193वीं बैठक दिनांक 23.02.2015 का कार्यवाही विवरण

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1.	193:1	कार्यकारी समिति की 192वीं बैठक दिनांक 15.01.2015 के कार्यवाही विवरण तथा निर्णय संख्या 192:6 व 192:8 में जारी किये गये शुद्धि-पत्रों की पुष्टि।	विचार-विमर्श पश्चात कार्यकारी समिति की 192वीं बैठक दिनांक 15.01.2015 के कार्यवाही विवरण तथा निर्णय क्रमांक 192:6 तथा 192:8 में जारी शुद्धि-पत्र क्रमशः क्रमांक डी-128 दिनांक 28.01.2015 तथा क्रमांक डी-130 दिनांक 29.01.2015 की पुष्टि की गई।	
2.	193.2	कार्यकारी समिति की 192वीं बैठक दिनांक 15.01.2015 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार-विमर्श पश्चात कार्यकारी समिति की 192वीं बैठक दिनांक 15.01.2015 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया गया।	
3.	193.3	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या ई-468, एच-702, ई-397, बी-322, ए-62, ई-319, डी-203, डी-290, ए-94, ई-378, एच-191 के नियमतिकरण के संबधं में।	विचार-विमर्श पश्चात कल्पना नगर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या ई-468, एच-702, ई-397, बी-322, ए-62, ई-319, डी-203, डी-290, ए-94, ई-378, एच-191 के लिए देय राशि तथा ब्याज एवं शास्ति जमा	उपायुक्त जोन-13ए

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			करवाने की शर्त पर भूखण्डों का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	
4.	193.4	अनुपम विहार आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या ए-423 के नियमितिकरण के संबधं मे।	विचार विमर्श पश्चात जविप्रा की अनुपम विहार आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या ए-423 के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11
5.	193.5	भूखण्ड संख्या 1606, रोहिणी नगर तृतीय के नियमितिकरण बाबत।	विचार विमर्श पश्चात जविप्रा की रोहिणी नगर तृतीय आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या-1606 के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को स्वीकृति हेतु राज्य सरकार	उपायुक्त जोन-14

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	
6.	193.6	जविप्रा की बक्सावाला योजना में निर्मित ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी के आवासों की बकाया किश्तें समय पर जमा नहीं होने पर आवासों के आवंटन नियमितिकरण बाबत।	विचार विमर्श पश्चात जविप्रा की बक्सावाला योजना में निर्मित ई.डब्ल्यू. एस./एल.आई.जी के आवासों की बकाया किश्तें दिनांक 30.06.2015 तक ब्याज एवं शास्ति के साथ समस्त राशि जमा करवाने का अंतिम अवसर दिये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-14
7.	193.7	दुकान संख्या सी-9/19 योजना आटोमोबाईल नगर के नियमितिकरण के संबधं।	विचार-विमर्श पश्चात दुकान संख्या सी-9/19 योजना आटोमोबाईल नगर, के लिए देय राशि तथा ब्याज एवं शास्ति जमा करवाने की शर्त पर दुकान का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त जोन-10
8.	193.8	Renewal of internal Roads in Zone-9 area, JDA, Jaipur	विचार-विमर्श पश्चात इस एजेंण्डा को defer करते हुये निर्णय हेतु पत्रावली पर प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये।	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम)
9.	193.9	सीवरेज कार्यो की प्रकाशित निविदा के निरस्तीकरण के प्रकाशन की राशि	विचार-विमर्श पश्चात एजेण्डा में दिए गए प्रस्तावानुसार सीवरेज कार्यो की प्रकाशित निविदा के निरस्तीकरण के प्रकाशन की	निदेशक (अभियांत्रिकी-द्वितीय)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		1,23,696.00 के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	राशि रूपए 1,23,696.00 के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	
अन्य मुददे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)				
10.	193.10	अनुपम विहार आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या ए-244 के नियमितिकरण के संबधं में।	विचार विमर्श पश्चात जविप्रा की अनुपम विहार आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या ए-244 के आवंटी द्वारा अधूरी नजराना राशि दो वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को स्पष्ट अभिशंषा के साथ स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11
11.	193.11	रिंग रोड में अवाप्ति के मुआवजे में दी गई 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल की विलम्ब से जमा देय राशि की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात रिंग रोड में अवाप्ति के मुआवजे में दी गयी 25% से अधिक क्षेत्रफल की भूमि के बदले आंवटित भूखण्ड संख्या 11/0E/174, 11/0E/472,11/0E/488,11/0E/534 एवं 11/0E/1225 में देय राशि विलम्ब से जमा पश्चात भूखण्डो का नियमितिकरण करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11

सचिव,
नगर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
12.	193.12	रिंग रोड में अवाप्ति के मुआवजे में दी गई 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल की विलम्ब से जमा देय राशि की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात रिंग रोड में अवाप्ति के मुआवजे में दी गयी 25% से अधिक क्षेत्रफल की भूमि के बदले आंवटित भूखण्ड संख्या 11/OD/158, 11/OD/05, 11/ID/305, 11/OE/995, 11/ OD/(A)119 एवं 11/OE/906 में देय राशि विलम्ब से जमा पश्चात भूखण्डो का नियमितिकरण करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11
13.	193.13	Approval of tender for the work "Construction of Low Height Compound wall in PAP area of Ring Road Zone-11,JDA, Jaipur(Annual Rate Contract)	विचार-विमर्श पश्चात "Construction of Low Height Compound wall in PAP area of Ring Road Zone-11, JDA, Jaipur(Annual Rate Contract))" के लिए न्यूनतम दरदाता मैसर्स लक्ष्मी नारायण अग्रवाल के पक्ष में G-Shedule से 02.11% अधिक दर को अनुमोदित करते हुए राशि रूपए 7,11,61,820.00 का कार्यादेश बिना किसी शर्त के जारी किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम)
14.	193.14	Approval of tender for the work "Construction of Low Height Compound wall in PAP area of Ring	विचार-विमर्श पश्चात "Construction of Low Height Compound wall in PAP area of Ring Road Zone-09 & 10, JDA, Jaipur (Annual Rate Contract) के लिए न्यूनतम	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		Road Zone-09 & 10, JDA, Jaipur (Annual Rate Contract)	दरदाता मैसर्स दिनेश कन्सट्रक्शन्स के पक्ष में G-Shedule से 02.40% अधिक दर को अनुमोदित करते हुए राशि रूपए 7,13,79,649.00 का कार्यादेश बिना किसी शर्त के जारी किए जाने का निर्णय लिया गया।	
15.	193.15	Strengthening and Renewal of Main 250 feet wide road from Ring road to Kalwada village in Zone-15, JDA, Jaipur.	विचार–विमर्श पश्चात Strengthening and Renewal of Main 250 feet wide road from Ring road to Kalwada village in Zone-15, JDA, Jaipur. के लिए न्यूनतम दरदाता मैसर्स के.डी शर्मा के पक्ष में G-Shedule से 02.79% अधिक दर को अनुमोदित करते हुए राशि रूपए 7,26,04,746/– के जारी किए गए कार्यादेश को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक (अभियांत्रिकी–प्रथम)
16.	193.16	जयपुर विकास प्राधिकरण में ठेकेदारों के पंजीकरण नियमों में संशोधनों का कार्योत्तर अनुमोदन बाबत।	विचार विमर्श पश्चात नवीन पंजीयन निर्णयों में प्रस्तावित संशोधनानुसार प्रस्ताव को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। रूपए 5 करोड़ से ऊपर के कार्यो में मशीनरी व उपकरणों के ठेकेदार द्वारा "owned" होने के प्रस्ताव को defer किये जाने का निर्णय भी लिया गया।	निदेशक (अभियांत्रिकी–प्रथम)
17.	193.17	Ex-post facto Approval of Tender for the work of "Construction of Six Lane	विचार–विमर्श पश्चात "Construction of Six Lane High Level Bridge Connecting Riddhi–	निदेशक (अभियांत्रिकी–प्रथम)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		High Level Bridge Connecting Riddhi-Siddhi Junction to Mansarover Link Road on Amanishah Nallah, Jaipur".	Siddhi Junction to Mansarover Link Road on Amanishah Nallah, Jaipur".के लिए न्यूनतम दरदाता मैसर्स पी.आर.एल प्रोजेक्टस एवं इन्फ्रा. लि. के पक्ष में G-Shedule से 12.50% अधिक दर को अनुमोदित करते हुए कुल राशि रूपए 36,44,90,674.00 के जारी किए गए कार्यादेश को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	
18.	193.18	Agenda Regarding Approval of bid for the Electrification work for hotel and resort Institutional JDA Scheme At Village Dhand, Amer, Jaipur.	विचार-विमर्श पश्चात "Electrification work for hotel and resort Institutional JDA Scheme At Village Dhand, Amer, Jaipur." के लिए न्यूनतम दरदाता मैसर्स जे.के इलैक्ट्रिकल कॉन्ट्रेक्टर के पक्ष में G-Shedule से 24.91% कम दर को अनुमोदित करते हुए राशि रूपए 3,44,30,655.00 का कार्यादेश जारी किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम)
19.	193.19	जोन-9 में सैक्टर रोड से प्रभावित भूमि को खातेदार/हितधारी द्वारा जविप्रा में समर्पित करने के फलस्वरूप 25 प्रतिशत व्यावसायिक/आवासीय भूमि के किये गये आंवटनों का अनुमोदन करने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात जोन-9 में सैक्टर रोड से प्रभावित भूमि को खातेदार/हितधारी द्वारा जविप्रा में समर्पित करने के फलस्वरूप 25 प्रतिशत व्यावसायिक/आवासीय भूमि के किये गये आंवटनों का कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-09

सचिव,
नगर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
20.	193.20	जोन-8 क्षेत्र में गणपतपुरा आवासीय योजना में बाउण्ड्रीवाल एवं लो-हाईट कम्पाउण्डवाल के निर्माण का कार्य।	विचार-विमर्श पश्चात प्रकरण में RTTP Act /Rules में निर्धारित 60 दिवस की समयावधि पार होने के कारण "जोन-8 क्षेत्र में गणपतपुरा आवासीय योजना में बाउण्ड्रीवाल एवं लो-हाईट कम्पाउण्डवाल के निर्माण" के लिए निविदा को 60 दिवस पश्चात निर्णित करने की कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (अभियांत्रिकी-द्वितीय)
21.	193.21	For Ex-post facto approval of tender for the work of "Construction of C.C. road in Goner village/Town in Zone-9, JDA, Jaipur.	विचार-विमर्श पश्चात प्रकरण में RTTP Act /Rules में निर्धारित 60 दिवस की समयावधि पार होने के कारण "Construction of C.C. road in Goner village/Town in Zone-9, JDA, Jaipur" के लिए निविदा को 60 दिवस पश्चात निर्णित करने की कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम)
22.	193.22	जोन-8 क्षेत्र में सेक्टर सड़क पर डिमार्केशन का कार्य (दर संविदा) की निविदा के अनुमोदन के संबधं में।	विचार-विमर्श पश्चात प्रकरण में RTTP Act /Rules में निर्धारित 60 दिवस की समयावधि पार होने के कारण "जोन-8 क्षेत्र में सेक्टर सड़क पर डिमार्केशन का कार्य (दर संविदा)" के लिए निविदा को 60 दिवस पश्चात निर्णित करने की कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान	निदेशक (अभियांत्रिकी-द्वितीय)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिए गए निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			करने का निर्णय लिया गया। जहां तक निविदाओं के इकजाइ (Club) करने का प्रशन है, इस बाबत प्रकरण को सक्षम समिति में अलग से अनुमोदन हेतु रखने के निर्देश प्रदान किए गये।	

(पवन अरोड़ा)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 193वीं बैठक दिनांक 23.02.2015 को सायंकाल 4:00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री शिखर अग्रवाल, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही:-

क. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1.	श्री शिखर अग्रवाल	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोड़ा	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
3.	श्री एन.सी माथुर	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4.	श्री देवराज सिंह	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5.	श्री नीरज के. तिवारी	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (एलपी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
6.	श्री के.सी. यादव	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-IV	जिला कलक्ट्रेट, जयपुर।	सदस्य के प्रतिनिधि
7.	श्री के.एल.बैरवा	डिविजनल अभियंता	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।	सदस्य के प्रतिनिधि
8.	श्री एम.पी. बड़गुर्जर	अतिरिक्त आयुक्त पुलिस	पुलिस विभाग, जयपुर।	सदस्य के प्रतिनिधि
9.	श्री दीपक शर्मा	अधिशाषी अभियंता सीडी-चतुर्थ	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
10.	श्री ललित शर्मा	निदेशक (अभियांत्रिकी-द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
11.	श्री एस. मिश्रा	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम्स मैनेजमेंट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12.	श्री अरविन्द आर्य	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13.	श्री बी.डी. शर्मा	अतिरक्त मुख्य अभियन्ता-चतुर्थ	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14.	श्री राज कुमार शर्मा	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता -तृतीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15.	श्री एन.के. सिंघल	अधीक्षण अभियन्ता-5	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16.	श्री देवेन्द्र गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता VI	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17.	श्री बी.एल. जाटव	अधीक्षण अभियन्ता-VII	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18.	श्री अनिल विजयवर्गीय	अधिशाषी अभियन्ता-9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19.	श्री धर्मेन्द्र शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता -8	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20.	श्री वी.एम.जौहरी	अधिशाषी अभियन्ता -आर.ओ.बी II	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21.	श्री सलीम अहमद	अधिशाषी अभियन्ता-(विद्युत)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22.	श्री राजकुमार सिंह	उपायुक्त जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
23.	श्री के.एस. मीणा	सहायक अभियंता- पी4	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
24.	जूही भार्गव	तहसीलदार जोन-14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
25.	श्री प्रभात गोस्वामी	विशेषाधिकारी (पीआर)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

(पवन अरोड़ा)
सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.193)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2015/डी- 198 दिनांकः 26/02/2015

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न हैः-

क.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4	महापौर	जयपुर नगर निगम।
5	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलक्टर	जिला कलक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निमार्ण विभाग,जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम/द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (नगर आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी./भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	सहायक निदेशक (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

(पवन अरोड़ा)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

168